NAND VATIKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

CIN: U51909WB1994PTC065980
1C/O RANJAN KUMAR FOGLA, OPP. KRISHI BHAWAN KANKE ROAD, RANCHI – 834008

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to state that NAND VATIKA Developers Pvt. Ltd., the developer of the project, is desirous to construct “NAND VATIKA GREENS” at Bariatu, near Birla Hanuman Mandir, Joda Talab – Cheshire Home Road. All the necessary design implementations and construction practices have been incorporated pertaining to Fire safety as per the advisory of the Fire Department of Ranchi.

- Fire Safety water reservoir tanks will be constructed on the locations suggested by the Fire Department.
- There will be fire sprinklers and fire hose pipes in the common area of the building to cater emergency situations
- As per the guidelines of the Ranchi municipal corporation, provisions for Fire exits have been provided for quick and safe evacuation in case of emergency
- An evacuation plan has been designed to empty the building in case of fire which will be displayed at every floor

On behalf of the company, this is to state that the above statement is true.

Thanking you.

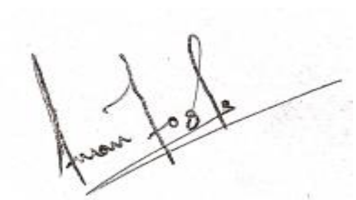

Director

पत्रांक–408/Tech./2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–23वीं जनवरी 2021

सेवा में,

Nand Vatika Developers Pvt. Ltd.,
Through ITS Director Sri Ranjan Kumar Fogla,
Birla Bagan, Near Birla Hanuman Mandir,
Joda Talab Road, Bariatu, Ranchi, Jharkhand.

विषयः– **मौजा–बरियातु, प्लॉट नं0–837,839,835,840,841,838,836, खातानं0–27,50,8,37,56, वार्ड नं0–W08, थाना–193, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय BLOCK-A,B, (B1+B2+G+12), BLOCK-D, E-(B1+B2+G+12), BLOCK-C (B1+B2+G+13) भवनों हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक–44, दिनांक–20.01.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय BLOCK-A,B, (B1+B2+G+12), BLOCK-D, E-(B1+B2+G+12), BLOCK-C (B1+B2+G+13) भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवनों के ब्लॉकों में दो–दो बेसमेंट के निर्माण का प्रस्ताव है। सुझाव है कि दोनों बेसमेंट में मानक के अनुरूप फायर पार्टीशन की व्यवस्था की जाय।
2. भवनों के ब्लॉकों BLOCK-A,B, एवं BLOCK-C,D,E के सामनेवाले भाग में केन्द्रीयकृत रूप से कम से कम दो–दो लाख लीटर क्षमता वाले अलग–अलग अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
3. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
4. भवनों के सभी ब्लाकों में अग्निशमन कार्य हेतु बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले एक–एक टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
5. भवनों के टेरेस टैंक से जुड़ा हुआ सभी ब्लॉकों के के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में एक–एक वेट राईजर–कम–डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63mm डिलिवरी आउटलेट एवं कम से कम 35 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
6. भवनों के सभी ब्लॉकों के सभी तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास दीवार में एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
7. भवनों के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
8. भवनों के सभी ब्लॉकों के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सतही तल पर एक–एक फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. भवनों के सभी ब्लॉकों कें प्रत्येक तल पर स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग का संस्थापन कराया जाय।
10. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।

11. स्प्रिंकलर के लिये स्वतंत्र पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय।
12. भवनों के सभी ब्लॉकों के अग्निशमन कार्य हेतु दो पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 ली0/मि0 क्षमता का एक–एक फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. भवनों के सभी ब्लॉकों में 900 Lpm क्षमता वाले एक–एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
14. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखने की व्यवस्था की जाय।
15. स्प्रिंकलर के लिये समान क्षमता का पम्प अलग से संस्थापित किया जाय।
16. जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
17. यह सुनिश्चित किया जाय कि पंपिंग सिस्टम पोजिटिव सक्शन युक्त एवं स्वचालित हो।
18. पम्पिंग सिस्टम एवं फायर लिफ्ट को वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
19. भवनों के सभी ब्लॉकों के फायर स्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
20. भवनों के सभी ब्लॉकों के विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
21. भवनों के सभी ब्लॉकों के सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
22. भवनों के सभी ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी Lisenced Electrician से हीं कराये जाय।
23. भवनों के सभी ब्लॉकों में मानक के अनुरूप ट्रैवेल डिसटेंस एवं रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
24. भवनों के सभी ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवनों के सभी ब्लॉकों में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसका हूटर भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
26. भवनों के सभी ब्लॉकों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए।
27. अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवनों के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
28. भवनों के ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम दो घंटा अग्निरोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
29. भवनों के सभी ब्लॉकों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
30. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् हीं अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
31. भवनों के सभी ब्लॉकों के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
32. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2021.01.23 16:28:47 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।